राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर,जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल –dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :–pension.rajasthan. gov.in

क्रमांकः– प.5 (324) निपेवि/नियम/2023/पार्ट–04/ **दिनांक :–**

समस्त विभागाध्यक्ष,
राजस्थान

विषयः– पेंशन प्रकरण स्वीकृत करने हेतु जारी किए जाने वाले लेखाकर्मी प्रमाण पत्र के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आईएफएमएस 3.0 के तहत समस्त पेंशन प्रकरण ऑनलाईन प्राप्त हो रहे हैं। जिसमें सेवा पुस्तिका पेंशन विभाग को प्रस्तुत किया जाना बन्द करने एवं कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों की जांच के तहत विभिन्न वेतन–नियतन, वार्षिक वेतनवृद्धियां/एसीपी/एमएसीपी इत्यादि के लिये संबंधित कार्यालय के लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है। अतः लेखाकर्मी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावेः–

1. राज. सि. से. (पेंशन) नियम, 1996 में लेखाकर्मी के प्रमाण पत्र के प्रारूप में स्पष्ट उल्लेख है कि संबंधित कार्यालय अथवा विभाग का वरिष्ठतम लेखाकर्मी ही होना चाहिए। अतः यदि पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में लेखाकर्मी पदस्थापित नहीं है तो उनके अगले उच्चतर कार्यालय अथवा नियंत्रण अधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी द्वारा ही प्रमाण पत्र जारी किया जाना सुनिश्चित करावें।
2. प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समस्त विभागों में राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ई–साइन से सभी तरह की फाइल, नोटशीट, टिप्पणी एवं अन्य दस्तावेजों का निस्तारण किया जाने की व्यवस्था दिनांक 01.01.2023 से लागू की गयी है। अतः उक्त आदेश की पालना में लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र भी ई–फाइल से राजकाज के माध्यम से ही जारी किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. ऑफलाईन प्रमाण पत्र केवल उसी स्थिति में जारी करें जहां ऑनलाईन जारी किया जाना संभव नहीं हो। यदि ऑफलाईन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 14.12.2020 के अनुसार लेखाकर्मी प्रमाण पत्र पर अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम, पदनाम, दिनांक, सील एवं डिस्पैच

नम्बर आवश्यक रूप से अंकित किया जाना सुनिश्चित करावें। उक्त के अभाव में लेखाकर्मी का प्रमाण–पत्र पेंशन प्रकरणों में स्वीकार्य नहीं होगा।

(महेन्द्र सिंह भूकर)
निदेशक

क्रमांकः– प.5 (324) निपेवि/नियम/2023/पार्ट–04/ **दिनांक :–**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त निदेशक, (मुख्यालय)/क्षेत्रीय कार्यालय.................
2. आहरण वितरण अधिकारी, कार्यालय हाजा।
3. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, पी आर....................
4. संयुक्त निदेशक, तकनीकी शाखा, कार्यालय हाजा।
5. समस्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I पीआर.........................

निदेशक

Signature Not Verified
Digitally Signed by Mahendra Singh Bhukar
Designation : Director
Date :11-05-2026 04:53:00

RajKaj Ref No.:
22130349